



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07022026-269880
CG-DL-E-07022026-269880

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 533।

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 5, 2026/माघ 16, 1947

No. 533।

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 5, 2026/MAGHA 16, 1947

आयुष मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2026

का.आ. 562(अ).—केंद्रीय सरकार भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 14) की धारा 18 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, आयुष मंत्रालय की अधिसूचना, जो का.आ. 2280 (अ), तारीख 11 जून, 2021 द्वारा, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित हुई थी, में निम्नानुसार और संशोधन करती है अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में -

(क) पैरा 2 में, सारणी में, क्रम संख्या 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ, निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किये जायेंगे, अर्थात्:-

क्र. सं.	सदस्य का नाम	सदस्यता की प्रस्थिति
(1)	(2)	(3)
“1.	डॉ. अल्लमप्रभु गुड्डा, प्रधानाचार्य, श्री हिंगलम्बिका एजुकेशन सोसाइटीज आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, कलबुर्गी, कर्नाटक	अध्यक्ष”;

(ख) पैरा 3 में, सारणी में, क्रम संख्या 1 और उससे संबंधित संबंधित प्रविष्टियाँ, निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किये जायेंगे, अर्थात्:-

क्र. सं.	सदस्य का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
“1.	आचार्य आसिम अली खान, संकायाध्यक्ष, उन्नी चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विद्यालय और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, माजीदिया यूनानी हॉस्पिटल, जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	अध्यक्ष”;

(ग) पैरा 4 में, सारणी में, क्रम संख्या 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ, निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किये जायेंगे, अर्थात्:-

क्र. सं.	सदस्य का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
“1.	डॉ. मुकुल पटेल, निदेशक और मुख्य प्रशासक, श्रेयस एनो-रेक्टल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, सूरत	अध्यक्ष”;

(घ) पैरा 5 में, सारणी में, क्रम संख्या 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ, निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किये जायेंगे, अर्थात्:-

क्र. सं.	सदस्य का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
“1.	डॉ. सुश्रुत कनौजिया, सदस्य, भारतीय चिकित्सा पद्धति चिकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड, एनसीआईएसएम	अध्यक्ष”

2. यह अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. वार्ड.18011/8/2024-ईपी.III (भाग-2)]

सत्यजीत पॉल, उप महानिदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii) में तारीख 11 जून, 2021 की संख्या का. आ., 2280 (अ.) द्वारा प्रकाशित की गई थी और तारीख 19 मार्च, 2024 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि., 222 (अ) द्वारा इसे अंतिम बार संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF AYUSH

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th February, 2026

S.O. 562(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18 of the National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020 (14 of 2020), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Ayush published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 2280 (E), dated the 11th June, 2021 namely:-

In the said notification, -

(a) in paragraph 2, in the table, for serial number 1 and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely: -

Serial Number	Name of Member	Status of Membership
(1)	(2)	(3)
“1.	Dr. Allamprabhu Gudda, Principal, Shri Hingulambika Education Society's Ayurvedic Medicinal College, Hospital & Research Centre, Kalaburgi, Karnataka	President”;

(b) in paragraph 3, in the table, for serial number 1 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

Serial Number	Name of Member	Designation
(1)	(2)	(3)
“1.	Prof. Asim Ali Khan, Dean, School of Unani Medical Education & Research and Chief Medical Superintendent, Majeedia Unani Hospital, Jamia Hamdard University, New Delhi	President”;

(c) in paragraph 4, in the table, for serial number 1 and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely: -

Serial Number	Name of Member	Designation
(1)	(2)	(3)
“1.	Dr. Mukul Patel, Director and Chief Administrator, Shreyas Ano- Rectal Hospital & Research Centre, Surat	President”;

(d) in paragraph 5, in the table, for serial number 1 and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely: -

Serial Number	Name of Member	Designation
(1)	(2)	(3)
“1.	Dr. Sushrut Kanaujia, Member, Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine, NCISM	President”.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

[F. No. Y.18011/8/2024-EP.III (Part-II)]

SATYAJIT PAUL, Dy. Director General

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 2280(E), dated the 11th June, 2021 and was last amended *vide* Notification number G.S.R, 222 (E), dated the 19th March, 2024.